

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका अंतर्गत धारा 438 भा०दं०प्र०सं०****संख्या-607 वर्ष 2022**

सुरेश कुमार शुक्ला

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के ज़रिए

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	अजय किशोर पांडे
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 23**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

द्वितीय बार प्रकरण को सुनवाई हेतु पुकार तलब किया गया। वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन पर बल देने के लिए आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य के लिए मौजूद हैं।

वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से अपराध संख्या-0538 वर्ष 2020, अंतर्गत धारा 409 और 420 भा०दं०प्र०सं०, थाना पूरा कलंदर, जनपद अयोध्या (फैजाबाद) में अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने 27.04.2022 के आदेश के ज़रिए याचिकाकर्ता को अंतरिम आग्रिम जमानत देते हुए यह आदेश पारित किया है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय किशोर पांडे और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से अपराध संख्या-0538 वर्ष 2020, अंतर्गत धारा 409 और 420 भा०दं०सं०, थाना पूरा कलंदर, जनपद अयोध्या (फैजाबाद) में अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि सह-अभियुक्त अनिरुद्ध प्रसाद पांडे को पहले ही आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 भा०दं०प्र०सं० संख्या-150 वर्ष 2021 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 के तहत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। इसलिए, वर्तमान आवेदक भी समानता के आधार पर अग्रिम जमानत का हकदार है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने वचन दिया कि वह जांच में सहयोग करेंगे और ऐसा न करने पर राज्य अंतरिम सुरक्षा को हटाने के लिए उचित आवेदन दायर कर सकता है।

अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया है। हालाँकि, सह-अभियुक्तों की समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू पर उनके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

मामले पर विचार की जरूरत है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाता है। प्रत्युत्तर हलफनामा, यदि कोई हो, उसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

इस प्रकरण को दिनांक 06.09.2022 को अतिरिक्त वाद सूची में सूचीबद्ध करें।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर उचित विचार करने पर और आवेदक के आरोपों की प्रकृति और पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए, अंतरिम उपाय के रूप में, आवेदक को समानता के आधार पर और "सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) -2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98" के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर अग्रिम जमानत दी जा सकती है। शीर्ष अदालत के पूर्वोक्त फैसले के अनुसार आवेदक को दी जाने वाली अग्रिम जमानत के संबंध में भविष्य की आकस्मिकताओं का भी ध्यान रखा जाएगा।

गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी-आवेदक सुरेश कुमार शुक्ला को उपरोक्त अपराध मामले में तुरंत 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/जांच अधिकारी/एस.एच.ओ. की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो जमानत राशि प्रस्तुत करने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाएगा:-

- (i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएगा;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से तत्काल अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और यह मुकदमे या नियमित जमानत आवेदन पर निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगी।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निजी मुचलका और दो जमानतदार दाखिल करने के बाद अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने जांच में विधिवत सहयोग किया है। उसने न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। वह मुकदमे में सहयोग करने का वचन देती है और यदि उसे अग्रिम जमानत मिल जाती है, तो वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आरोप की प्रकृति पर विचार किए बिना और इस तथ्य पर कि आवेदक ने अदालत द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, साथ ही आवेदक द्वारा दिए गए वचन के साथ कि वह मुकदमे में सहयोग करेगी, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 27.04.2022 के आदेश के तहत दी गई अंतरिम सुरक्षा को **सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)-2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98**, मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर पूर्ण बनाया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

आदेश दिनांक- मार्च 18, 2026/आरती-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।